राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर बावडी जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः श्री हेताराम चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 169/2018

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्रीमती जैनी पत्नि स्व0		1 श्री देवाराम पुत्र श्री लादूराम
श्रीराम जाति माली		2 श्री गिश्रीलाल पुत्र श्री जसाराम
निवासी ग्राम सोयला		3 श्रीमती जैनी पत्नि स्व0 जसाराम
तहसील बावडी		सभी जातिगण माली निवासीगण
जिला जोधपुर		तहसील बावडी जिला जोधपुर
		4 तहसीलदार बावडी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधीन आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा ।

उपस्थितः 1 श्री रामप्रकाश चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीनी ।
2 श्री जगदीश चौधरी एवं प्रेमकुमार विश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 03.9.2019

प्रार्थीनी के प्रार्थना पत्र का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादग्रस्त आराजी मौजा सोयला तहसील बावडी के खसरा नं. 401/3, 401मिन, 401मिन1, 402 एवं 403 कुल खसरे पांच कुल रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा की प्रार्थीनी सहखातेदार व काबिज काश्तकार शुरू से ही हुई, व रही व है, तथा उसके पति श्रीराम का उक्त खेताय में 1/3 हिस्सा था व है । जो राजस्व रेकर्ड से साबित है व श्रीराम के कोई आल औलाद न होने एक मात्र पत्नी प्रार्थीनी होने से उसका 1/3 हिस्सा हुआ रहा व है तथा रेकर्ड से साबित है, जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीनी के पक्ष में है, लेकिन अप्रार्थी सं. 1 देवाराम जो मूल वाद में वादी है, उसकी नियत खराब हो जाने के कारण उसने प्रार्थीया अकेली विधवा, कमजोर, बिना आल औलाद की औरत होने के कारण उसकी कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर बिना किसी वैध विक्रय पत्र के ही झूठी मूठ की कहानी बनाकर पुराने विक्रय पत्र हो रखे होने बताकर उक्त सम्पूर्ण भूमि को अकेला हडपना चाहता है व इसी बदनियती से मिथ्या वाद पेश किया तथा बाले बाले इकतरफा में निर्णय पारित करवा लिया था । जिसके विरूद्ध राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर के यहां अपील पेश की गयी जो अपील स्वीकार होकर निर्णय को अपास्त किया गया । राजस्व अपील

अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी सं. 1 देवाराम ने राजस्व मण्डल में अपील/निगरानी पेश की, जिसमें राजस्व मण्डल अजमेर ने राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय को अपास्त कर दिया जिसके विरूद्ध मुझ प्रार्थीया ने माननीय उच्च न्यायालय में कार्वाही की व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा मामला न्यायालय हाजा को रिमाण्ड करने के आदेश हुए तथा पत्रावली न्यायालय हाजा में पहुंचने से पहले ही इसी दौरान वादी/अप्रार्थी सं. 1 देवाराम ने षडयंत्रपूर्वक बाले बाले नामान्तरकरण अपने नाम करवा लिया है तथा अब उसकी आड में जबरदस्ती सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने, बेचान हस्तान्तरण करने, प्रार्थीया को डरा धमका कर बेदखल करने पर आमादा है, इसलिए प्रार्थीया को यह अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन पत्र पेश है ।

म्यूटैशन की कार्यवाही एक फिस्कल प्रौस्डिंग होती है, जिससे किसी के हको का निर्धारण नहीं होता है । अप्रार्थी सं. 1 ने मिलावटी ढंग से म्यूटैशन भरवा लेने से सम्पूर्ण भूमि का मालिक कतई नहीं हो सकता है, इसके बावजूद वादी सम्पूर्ण भूमि का मालिक होना बताकर अजनबी लोगों को बेचान हस्तान्तरण करने तथा जबरदस्ती प्रार्थीया को बेदखल करने की धमकिया दे रहा है, ऐसा करने में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति करना सम्भव नहीं होगा । अनावश्यक मुकदमेबाजी बढेगी, जिससे सुविधा का संतुलन व प्रथम दृषटया मामला प्रार्थीया के पक्ष में है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं कि मूल वाद व काउण्टर क्लैम के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण विशेषतः अप्रार्थी सं. 1 देवाराम को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 401/3, 401मिन, 401मिन1, 402 एवं 403 कुल खसरे पांच कुल रकबा 29 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा सोयला तहसील बावडी में प्रार्थीया के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें, नं अन्य से करावें, राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनायी रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगण की और से जरिये अधिवक्ता जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया । अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर बताया गया कि उक्त वादग्रस्त आराजी खसरान् नं. एवं रकबे वाली भूमि गांव सोयला तहसील बावडी में अवश्य स्थित है, परन्तु उक्त भूमि में प्रार्थीनी अथवा उसके पति श्रीराम का 1/3 या कोई हिस्सा होने का उसका कथन सरासर गलत है । प्रार्थीनी के पक्ष में कोई मामला नहीं बनता है । प्रार्थीनी ने राजस्व रेकर्ड के जिन इन्द्राजों को आधार मानकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, इन्द्राजों की कोई एहमीयत नही है । उक्त इन्द्राज अपने आप में शुन्य है, क्योंकि उन इन्द्राजों का कोई आधार नहीं है । प्रार्थीनी अथवा उसके पति को उक्त भूमि के किसी भी भाग में कोई टेनेन्सी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत् प्राप्त ही नहीं हुए तो उसके पति के नाम का इन्द्राज कोई महत्व नहीं रखता है । जाहिर तौर पर उक्त इन्द्राज बिना किसी न्यायालय के आदेश के किये गये है, एवं स्पष्टत्या मिलावटी कार्यवाही के जरिये उक्त इन्द्राज किये गये है, जबकि उक्त भूमि शुरू से ही अप्रार्थी संख्या एक/वादी की कय सुदा एवं खातेदारी की रही है, तथा सम्पूर्ण 29.15 बीघा भूमि

वादी की कय सुदा है, एवं बेचाननामे के आधार पर वादी के नाम से विधिवत इन्द्राज किये गये है । उक्त बेचाननामें पूर्व के अभिलिखित खातेदारों द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित किये गये है । इस प्रकार उक्त भूमि वादी की स्व. अर्जित भूमि है, जिसमें वादी के अलावा किसी को कोई अधिकार कानूनन किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकते है । इस प्रकार प्रार्थीनी के पक्ष में प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता ही नहीं है । वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में जो इन्द्राज किये गये है, वे सक्षम न्यायालय की डिक्री के आधार पर किये गये है । प्रार्थीनी न तो विवादग्रस्त भूमि की टिनेन्ट है एवं न उसका कोई कब्जा है, जबकि अप्रार्थी संख्या एक भूमि का अभिलिखित खातेदार है एवं इस भूमि पर उसी का कब्जा काश्त है । इस प्रकार एक अभिलिखित एवं कैंबिज खातेदार के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा जारी ही नहीं की जा सकती है एवं वर्तमान मामले में कोई काउंटर क्लेम अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई वादकरण ही नहीं है ।

वादी के नाम पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरणों का आधार पंजीकृत विक्रय विलेख थे, परन्तु इन इन्द्राजों को बिना किसी कारण बदला गया है, तब वादी ने सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया, जिस वाद में पारित डिक्री की पालना में पुनः नामान्तरकरण वादी के नाम से स्वीकार करते हुए राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बदल दिये गये, इस प्रकार वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में जो इन्द्राज किये हुए है उनके बारे में कोई संदेह पैदा नहीं किया जा सकता है एवं प्रार्थीनी को इस मामले में किसी तरह की कोई क्षति होने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है, तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं है । प्रार्थीनी के कंडेक्ट को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जैसा कोई अनुतोष प्राप्त करने की वादीनी मुश्तहक नहीं है, एवं उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है । अतः जबाब प्रार्थना पत्र मंय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावें ।

बहस प्राथना पत्र सुनी गई । अधिवक्ता प्रार्थीनी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद व काउण्टर क्लेम के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थीगण विशेषतः अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पाबंद किया जावें कि वे वादग्रस्त आराजी के प्रार्थना पत्र के पद संख्या एक में वर्णित खसरान् में प्रार्थीनी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें एवं न किसी अन्य से करावें, तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावें ।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र में दर्शाये वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया गया कि अप्रार्थी संख्या एक देवाराम की खरीदशुदा भूमि है, नं की पुश्तैनी भूमि है । रजिस्ट्री मूल वाद में पेश है । रजिस्ट्री बेचाननामे के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किये गये, वैद्य विक्रय पत्र दावे में पेश है । प्रार्थीनी के पति व उसके भाई के नाम राजस्व रेकर्ड में बिना किसी बेचान/हस्तान्तरण के इन्द्राज किये गये है । प्रार्थीया द्वारा अपना 1/3 हिस्सा आवंटन व बिना किसी आधार के बताया गया है । अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीनी के

पक्ष में साबित नहीं होते है, बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में साबित होते है । अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से मय खर्चा खारिज किया जावें ।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं पक्षकारान् अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया । प्रार्थीनी ने राजस्व रेकर्ड के जिन इन्द्राजों को आधार मानकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, इन्द्राजों की कोई एहमीयत नही है । उक्त इन्द्राज अपने आप में शुन्य है, क्योंकि उन इन्द्राजों का कोई आधार नहीं है । प्रार्थीनी अथवा उसके पति को उक्त भूमि के किसी भी भाग में कोई टेनेन्सी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत् प्राप्त ही नहीं हुए तो उसके पति के नाम का इन्द्राज कोई महत्व नहीं रखता है, उक्त भूमि शुरू से ही अप्रार्थी संख्या एक/वादी की कय सुदा एवं खातेदारी की रही है, तथा सम्पूर्ण 29.15 बीघा भूमि वादी की कय सुदा है, एवं बेचाननामे के आधार पर वादी के नाम से विधिवत इन्द्राज किये गये है । उक्त बेचाननामें पूर्व के अभिलिखित खातेदारों द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित किये गये है । इस प्रकार उक्त भूमि वादी की स्व. अर्जित भूमि है, जिसमें वादी के अलावा किसी को कोई अधिकार कानूनन किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकते है । वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में जो इन्द्राज किये गये है, वे सक्षम न्यायालय की डिक्री के आधार पर किये गये है । प्रार्थीनी न तो विवादग्रस्त भूमि की टिनेन्ट है एवं न उसका कोई कब्जा है, जबकि अप्रार्थी संख्या एक भूमि का अभिलिखित खातेदार है, इस प्रकार एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध कोई निषेधाज्ञा जारी ही नहीं की जा सकती है एवं वर्तमान मामले में कोई काउंटर क्लेम अथवा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई वादकरण ही नहीं है ।

वादी के नाम पूर्व में स्वीकृत नामान्तरकरणों का आधार पंजीकृत विक्रय विलेख थे, परन्तु इन इन्द्राजों को बिना किसी कारण बदला गया है, तब वादी ने सक्षम न्यायालय में वाद पेश किया, जिस वाद में पारित डिक्री की पालना में पुनः नामान्तरकरण वादी के नाम से स्वीकार करते हुए राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज बदल दिये गये, इस प्रकार वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में जो इन्द्राज किये हुए है उनके बारे में कोई संदेह पैदा नहीं किया जा सकता है एवं प्रार्थीनी को इस मामले में किसी तरह की कोई क्षति होने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता है, तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं है । प्रार्थीनी के कंडेक्ट को देखते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा जैसा कोई अनुतोष प्राप्त करने की वादीनी मुश्तहक नहीं है ।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण उपरान्त अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीनी के पक्ष में साबित नहीं होते है, बल्कि अप्रार्थी के पक्ष में साबित होते है। प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

आदेश

प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अधीन आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का खारिज किया जाता है ।

(हेताराम चौहान)
सहायक कलक्टर, बावड़ी
जिला जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 03.9.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हेताराम चौहान)
सहायक कलक्टर, बावड़ी
जिला जोधपुर